पत्र संख्या-आई0टी0/जी0एस0टी0/सी0एस0सी0- (2017-18) / 568 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(आई0टी0 अनुभाग),
दिनॉक // लखनऊ // जून, 30 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 29-06-2017 को अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग में यह निर्देश जारी किये गये थे कि दिनांक 01-07-2017 से जी0एस0टी0 व्यवस्था के सुचारु रुप से लागू करने हेतु सभी जनपदों में व्यापारियों को यथासम्भव सहयोग प्रदान किया जाये। इस कार्य हेतु समस्त वाणिज्य कर कार्यालयों में प्रात: 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक संचालित हो रहे Helpdesk पर सभी अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार पूर्ण निष्ठा से कार्यरत रहेंगे तथा सभी निर्माता व्यापारी एवं अन्य Stakeholders को समस्त सुविधा प्रदान करेंगे। सभी कार्यालयों में Helpdesk का 2 X 2 Size का बोर्ड लगवाया जाये जिस पर यह स्पष्ट रुप से अंकित हो कि सभी कार्यालयों को एन्रोलमेन्ट तथा नये पंजीयन के आवेदन हेतु विभाग द्वारा नि:शुल्क सुविधा 90 दिनों के लिये उपलब्ध करायी जा रही है। Helpdesk पर क्रियाशील फोन नम्बर बोर्ड पर अंकित हो।

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर को मीटिंग में यह भी निर्देश दिये गये थे कि जनपद में चल रहे CSC's, NSDL द्वारा संचालित सुविधा केन्द्र तथा अन्य कोई सुविधा केन्द्र जहाँ इन्टरनेट की व्यवस्था हो वहाँ व्यापारी GST Portal को Access करके अपने Migration एवं नये पंजीयन का आवेदन कर सकता है इसकी सूची मुख्यालय प्रेषित करें। यह आवश्यक है कि किसी अधिकारी द्वारा इन केन्द्रों पर जाकर जॉच कर ली जाये कि उक्त सेवा केन्द्र सुचारु रुप से कार्य कर रहे हैं। मुख्यालय स्तर से CSC's केन्द्रों के लिये 156 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किये गये थे तथा उन्हे यह निर्देश दिये गये थे कि वह सभी जनपदों के CSC's केन्द्रों पर कार्यरत मैन पावर जी0एस0टी के Frontend Module का प्रशिक्षण दे दिया गया है अथवा नहीं। यदि कार्यरत मैन पावर का Front end Module पर प्रशिक्षण हो चुका है तो "GST Portal पर कार्य करने हेतु विभाग से प्रशिक्षित" इस प्रकार का बोर्ड अपने केन्द्र पर उनके द्वारा लगयाया जा सकता है। मुख्यालय द्वारा उक्त सेवा केन्द्रों का व्यापक प्रचार कराया जायेगा। अत: आवश्यक है कि इन सेवा केन्द्रों का सर्वेक्षण कराते हुए निम्न प्रारुप में सूचना दिनांक 03-08-2017 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जनपद का नाम	CSC सेन्टर संचालक का		ई-सुविधा केन्द्र (NSDL से सचालित)		अन्य सुविधा केन्द्र
	क्रम संख्या	नाम पता एवं फोन नम्बर	क्रम संख्या	नाम,पता एवं फोन नम्बर	

(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।